

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

शुद्धि पत्र

संख्या—प्र02 / निगम विविध—10 / 2013

पटना, दिनांक:—

ऊर्जा विभाग के राज्यादेश संख्या— 455 दिनांक— 13.02.2018 द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश की कंडिका—1 को इस हद तक संशोधित करते हुए निम्न रूप में पढ़ा जाए :—

“बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अन्तर्गत वर्तमान में बिहार राज्य के भौगोलिक सीमा में 17 (सतरह) निर्माणाधीन परियोजनाएँ हैं। इन 17 निर्माणाधीन परियोजनाओं में 04 परियोजनाएँ ऐसी हैं, जहाँ 75% से ज्यादा कार्य हो चुका है, 7 परियोजनाओं में 50% से 75% तक, 4 परियोजनाओं में 50% से कम तथा 2 परियोजनाएँ ऐसी हैं, जिसमें काम शुरू नहीं हुआ है। इन परियोजनाओं में से 12 फिजीबुल परियोजनाएँ हैं, जहाँ 50% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है, अथवा उत्पादन लागत 5 रूपये प्रति युनिट से कम है। इन परियोजनाओं को चालू करने के लिए मूल्य वृद्धि किया जाना है। इसके अतिरिक्त कटनैया (2X1000 किमी²), निर्मली (4X1.75 किमी²) एवं बथनाहा (2X4 किमी²) 3 ऐसी परियोजनाएँ हैं, जो तकनीकि एवं व्यवसायिक रूप से असम्भाव्य हैं, अतएव अब तक किए गये कार्यों का स्थल निरीक्षण एवं मापी कराकर उनका भुगतान कर इन परियोजनाओं को बंद करने की स्वीकृति तथा 2 परियोजनाएँ धोबा एवं अरारघाट में जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, इन दोनों परियोजनाओं को रद्द किया जाना आवश्यक है।”

2. कंडिका—2 की छठी पंक्ति में उल्लेखित “अनठावन” के स्थान पर “अठहत्तर” पढ़ा जाय।
3. शेष यथावत रहेगी।

ह0/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:— प्र02 / निगम विविध—10 / 2013

पटना, दिनांक:—

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:— प्र02 / निगम विविध—10 / 2013 ४३५

पटना, दिनांक:— १५।०३।२०।८

प्रतिलिपि:— वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / आईटी०० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना / अध्यक्ष—सह—प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लि० / प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना / राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक बी, 4वीं एवं 5वीं मंजिल, डाकबंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।